न्यायालय : विशेष न्यायाधीश(एस0सी0एस0टी0ऐक्ट), एटा।

दां0 प्रकीर्ण सं. 326 सन् 2020 J.O. Code- UP 6157

सी0एन0आर0 नं. UPET 01 005192 –2020

श्री श्याम सिंह प्रति डाल चन्द्र शाक्य व 8 अन्य।

धारा : 156(3) दं0प्र0सं0
थाना : अलीगंज, जिला एटा।

15.122020

प्रार्थनापत्र पेश हुआ। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 156(3) दं0प्र0सं0 पर सुना।

आवेदिक श्याम सिंह की ओर से प्रार्थनापत्र धारा 156(3) दं0प्र0सं0 विपक्षीगण डालचन्द्र शाक्य, बीटू,मनोज, राहुल, बालकराम , अनिल, चमन डाकिया, पीयूष व अखिलेश के विरुद्ध थाना अलीगंज, जिला एटा पर रिपोर्ट दर्ज कराकर, विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में प्रार्थनापत्र में आवेदक का कथन है कि आवेदक हरिजन जाति का बहेलिया है। दिनांक 24.10.2020 समय करीब 1.00 बजे रात्रि आवेदक गॉव का डालचन्द्र शाक्य, शराब पीकर छत से होकर आवेदक के गॉव में घुस आया। आवेदक ने उसे पकड़ लिया तो गॉव के लोगों ने फैसला करा दिया। इसी रंजिश के कारण दिनांक 26.10.2020 को समय करीब 08.00 बजे सुबह मेरे गॉव डालचन्द्र शाक्य पुत्र ज्वाला प्रसाद, बीटू पुत्र डालचन्द्र, मनोज व राहुल पुत्रगण बालकराम, बालकराम पुत्र पुत्तू, अनिल पुत्र गनपति उर्फ रामचन्द्र, चमन डाकिया व पीयूष पुत्र राजवीर व अखिलेश पुत्र रामभरोसे अपने–अपने हाथों में लाठी–डन्डा लेकर तथा बालकराम अपनी लायसेंसी रायफल लेकर आवेदक के दरवाजे पर आये और और आवेदक व उसके लड़के रंजत को मॉ–बहिनों की जाति सूचक गालियॉ देते हुऐएक राय मशवरा होकर मारने लगे। तभी आवेदक ने शोर मचाया तो भाई हरनाथ सिंह , पत्नी राजकुमारी व चचेरा भाई रमेश तथा शिवपाल पुत्र राम सिंह आ गये, जिन्होंने आवेदक को बचाया। बालकराम ने अपनी लायसेंसी रायफल तानकर आवेदक को धमकाया कि कहीं रिपोर्ट की तो जान से मार देंगे और धमकी देते हुऐ

उक्त सभी लोग अपने कमरों की ओर भाग गये। आवेदक एवं लड़के रंजीत को सिर में गम्भीर चोटें आयीं हैं। आवेदक व लड़का रंजीत थाना अलीगंज गये और रिपोर्ट लिखकर दी। दीवानजी ने चिट्ठी मजरूबी बनाकर दी , पुलिस अभिरक्षा में चिकित्सा हेतु भेजा किन्तु रिपोर्ट नहीं लिखी। तत्पश्चात उसने दिनांक 02.11.2020 एस0एस0पी0, एटा से मिलकर घटना की तहरीर दी व उसी दिनांक को पंजीकृत डाक से रिपोर्ट भेजी लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। चोट रिपोर्ट थानापर जमा है। विवश होकर यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त आधारों पर थानाध्यक्ष, थाना अलीगंज को आदेशित कर, उसकी रिपोर्ट दर्ज कराकर, विवेचना कराये जाने का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

उक्त प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र तथा एस0एस0पी0, एटा को भेजे गये प्रार्थनापत्र व रजिस्ट्री रसीद की फोटो प्रति दाखिल की गयीं हैं। इनके अतिरिक्त स्वयं व पुत्र के चिकित्सीय परीक्षण की आख्याऐं भी प्रस्तुत की गयीं हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया।

संबंधित थाना से प्राप्त आख्यानुसार प्रस्तुत मामले के संबंध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

अतः प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री के अवलोकन के उपरांत, न्यायालय इस मत का है कि मामले में प्रथम दृष्ट्या संज्ञेय अपराध का कारित होना प्रतीत होता है। घ ाटना के सम्बन्ध में संबंधित थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराकर, विवेचना कराया जाना आवश्यक एवं उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

थानाध्यक्ष, थाना अलीगंज को आदेशित किया जाता है कि वह आवेदक के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के प्रकाश में मुकद्दमा दर्ज कर, विधिनुसार विवेचना कराया जाना सुनिश्चित् करें।

(रमेश)
विशेष न्यायाधीश(एस0सी0एस0टी0ऐक्ट),
एटा।
15.12.2020